न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दमा नम्बर 179/2015 दायर दिनांक–07.08.2015

1. महावीर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

–वादी

1. भवर कवर पत्नी विक्रम सिंह
2. विक्रम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सुरेश कुमार सीगड़

वकील प्रतिवादी :– श्री अशोक कुमार जांगिड़

दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती

व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक–23.12.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम जाखल में स्थित भूमि खसरा नम्बर 586, 593, 594, 671, 975, 1168/430 रकबा क्रमशः 0.3800, 0.5500, 0.600, 0.2400, 0.5000, 0.3300 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.7600 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से "उच्छव कंवर पत्नी जयसिंह" का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 02 को बराबर बराबर 1/2–1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार होने की घोषणा की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

प्रतिवादीगण को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी को विवादग्रस्त भूमि मे अपने 1/2 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा फर्जी लिखावट/वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज नही करवायें और ना ही अपने नाम से नामान्तरण भरवाये। विवादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से पेश जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा चाही गई घोषणा आधारहीन, अस्पष्ट तथा कानून विरूद्व है। वादी स्वयं को पता नही है कि कोई फैमेली सैटलमेंट हुआ था या नही, कब हुआ, किसके मध्य हुआ। वादग्रस्त भूमि स्व0 उच्छव कंवर की खातेदारी की है जिसकी वसीयत स्व0 उच्छव कंवर ने दिनांक 09.09.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में की गई है तथा उच्छव कंवर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के साथ रही है। वादी की समस्त सिट्टी गलत है जो कानूनन कभी नही दी जा सकती है। इसी तरह वाद पत्र के पैरा 9 मे दर्ज किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। ऐसी हालत में वादी किसी प्रकार की सहायता न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी ने घोषणा गलत व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर चाही है जो खारीज होने योग्य है। दावा वादी खारीज फरमाया जावे।

काउण्टर क्लेम

काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर ग्राम जाखल में स्थित भूमि खसरा नम्बर 586, 593, 594, 671, 975, 1168/430 रकबा क्रमशः 0.3800, 0.5500, 0.600, 0.2400, 0.5000, 0.3300 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.7600 है0 भूमि स्व0 [illegible] 09.09.2011 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना [illegible] न्यायोचित है तथा स्व0 उच्छव कंवर का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया [illegible]

जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम [illegible] विवरण इस [illegible] है कि काउण्टर क्लेम के लिए वादाधिकार कब, कैसे व किस आधार पर [illegible] किया है इसलिए वादाधिकार के अभाव में काउण्टर क्लेम खारिज होने योग्य है। प्रति[illegible] नं0 1 व 2 ने दिनांक 09.09.2011 की तथाकथित व फर्जी वसीयत बतलाकर पैत्रिक सम्पति में खातेदारी घोषित करवाने बाबत काउण्टर क्लेम पेश किया है जो एक आधारहीन व बोगस दस्तावेज है जिसके संबंध में चार साल बाद काउण्टर क्लेम पेश किया गया है। जबकि पैत्रिक संपति की कृषि की भूमि की वसीयत नही की जा सकती है। उक्त फर्जी वसीयत उप पंजीयक से रजिस्टर्ड नही है ना ही प्रोबेट जारी करवाई गई है जिससे कानूनी रू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:21:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

सही व प्रोपर साबित नही होने से काउण्टर क्लेम खारिज होने योग्य है। अतः जबाब काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम खारीज फरमाया जावे।

जवाब देही पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादग्रस्त ग्राम जाखल में स्थित भूमि खसरा नम्बर 586, 593, 594, 671, 975, 1168/430 रकबा क्रमशः 0.3800, 0.5500, 0.600, 0.2400, 0.5000, 0.3300 है0 के राजस्व रिकॉर्ड से उच्छव कंवर पत्नी जयसिंह का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बराबर बराबर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें।

भा.स.वादी

2. आया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से वादी को वादग्रस्त भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा व परेशानी पैदा नही करें तथा तथाकथित फर्जी वसीयत लिखावट के आधार पर विवादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर नामा0 अपने नाम तस्दीक की कार्यवाही नही की जावे।

भा.स.वादी

3. आया उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि का उच्छवकंवर द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 09.09.2011 के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उच्छव कंवर का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

भा.स.प्रतिवादीगण

4. आया काउण्टरक्लेम के लिए वादाधिकार कब कैसे व किस आधार पर पैदा हुआ है काउण्टर क्लेम में वर्णित नही किया गया है अतः वादाधिकार के अभाव में काउण्टर क्लेम 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारीज किया जावे।

भा.स.वादी

5. दादरशीः–

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से वकील श्री अशोक कुमार जांगिड उप0। प्रतिवादी संख्या 03 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जबाबदेही पेश होने पर तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु महावीर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह तथा बकल सिंह के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादी की ओर से भंवर कंवर पत्नी शिवराज सिंह तथा शिवराज सिंह पुत्र सज्जन सिंह के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 दान पत्र दिनांक 20.07.2005 2 फोटोग्राफस् प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2029–32 प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी सम्वत 2063–66 आदि दस्तावेज पेश किये।

वादी व प्रतिवादी की ओर से उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया गया जिसे तस्दीक किया गया। वादी व प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा अनुसार निर्णय जारी करने हेतु सहमति दी गई। अतः राजीनामा पेश होने पर उक्त वाद का निर्णय तनकीवार किये जाने की आवश्यकता नही है। उक्त राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

लिहाजा वाद वादी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर [illegible] ता है कि राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 975 रकबा 0.50 है0 [illegible] महावीर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ग्राम जाखल में स्थित [illegible] खसरा नम्बर 586, 593, 594, 671, 1168/430 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 भंवर कंवर पत्नी विक्रम सिंह [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा [illegible] जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:21:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:–179 / 2015 **(महावीर सिंह बनाम भंवर कंवर आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेकं) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 23.12.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 975 रकबा 0.50 है0 भूमि का वादी महावीर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व ग्राम जाखल में स्थित भुमि खसरा नम्बर 586, 593, 594, 671, 1168 / 430 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 भंवर कंवर पत्नी विक्रम सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आवेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.12.2024 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:21:52 IST
Reason: SelfAttested